पत्र संख्या–6 एस०एस०(6) 23/2016– /1317

बिहार सराकर

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में समादेश संख्या–1376 /2017 बी०के० पंडित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, चिरोहाट कुर्साकांटा (अररिया) का भवन, भवन निर्माण विभाग द्वारा विना स्वीकृति के पूर्व स्वीकृत दर ₹ 29.31 लाख (उन्नतीस लाख इक्तीस हजार) मात्र की लागत पर निर्माण किये जाने की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में समादेश संख्या–1376 /2017 बी०के० पंडित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, चिरोहाट कुर्साकांटा (अररिया) का भवन, भवन निर्माण विभाग द्वारा विना स्वीकृति के पूर्व स्वीकृत दर ₹ 29.31 लाख (उन्नतीस लाख इक्तीस हजार) मात्र की लागत पर निर्माण किये जाने की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभागीय राज्यादेश संख्या–327, दिनांक–26.02.2009 द्वारा पूर्णियाँ प्रमंडल के अन्तर्गत 62 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों में दो मंजिले भवन का निर्माण की योजना की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई थी। अररिया जिला अन्तर्गत स्वीकृत प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय की सूची में चिरोहाट, कुर्साकांटा (अररिया) शामिल नहीं रहने के वाबजूद भी जिला पशु पालन पदाधिकारी, अररिया के अनुरोध पर उक्त पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया गया। उक्त निर्मित पशु चिकित्सालय विभाग को हस्तानांतरित भी भवन निर्माण विभाग द्वारा दिनांक–12.08.2012 को कर दिया गया है। फलतः भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विना स्वीकृति के निर्माण किये गये प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय चिरोहाट कुर्साकांटा का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्मित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय चिरोहाट कुर्साकांटा का निर्माण हेतु चयनित एजेंसी बी०के० कन्स्ट्रक्शन को स्वीकृत

E\S.Kumar,Yojna.\18-19\govt. Order23/16\13-04-2018

13/4/18

निविदा मो० 29,19,087/– रुपये (उनतीस लाख उन्नीस हजार सतासी रुपये) मात्र के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा कुल रुपये 17,94,340/– (सतरह लाख चौरानवे हजार तीस सौ चालीस) मात्र का भुगतान बी०के० कन्स्ट्रक्शन को किये जाने के पश्चात् शेष राशि रुपये मो० 11,24,747/– (ग्यारह लाख चौबीस हजार सात सौ सैतालीस रुपये) मात्र बी०के० कन्स्ट्रक्शन एजेंसी को भुगतान किया जाना शेष है जिसे भुगतान करने की भी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–4059 –लोक निर्माण कार्य एवं पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01 –कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051 –निर्माण, माँग संख्या–03 –उप शीर्ष–0105 –पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण, विपत्र कोड 03-4059010510105 के तहत विषय शीर्ष–0105.53.01 –मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से करने का निर्णय लिया गया। यह राशि भवन निर्माण विभाग के उक्त शीर्ष में उपबंधित है।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन निर्माण विभाग के स्तर पर नामित पदाधिकारी होंगे। सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी कर संबंधित कन्स्ट्रक्शन एजेंसी बी०के० पंडित को भुगतान करने हेतु कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल अररिया को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड़, पटना से की जायेगी। सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. वित्त विभागीय संकल्प–3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार सचिव का प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 23/2016 के पृष्ठ–52/टि०।

6. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 23/2016 के पृष्ठ–53/टि० तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–13.04.2018

7. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016–1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

E\S.Kumar, Yojna.\18-19\govt. Order23/16\13-04-2018

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016– 1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016– 1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016– 1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016– 1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल अररिया/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया/बी०के० पंडित, कन्स्ट्रक्शन एजेन्सी, अररिया /पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 23/2016– 1317 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2018.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के अपर सचिव